

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9719/2014-15/12 दिनांक:- 19-06-2014

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति -


विषय:-शिक्षा के अधिकारी अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु बजट आवंटन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु मांग संख्या-51 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना, (04)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण, [00], 57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (आयोजना व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 की द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु राशि का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है। आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार एवं राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/2010पार्ट जयपुर दिनांक 14.02.2014 एवं इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना सख्ती से करते हुए किया जाये।

क्र.स.	ऑफिस आई.डी.	बीईईओ कार्यालय का नाम	आवंटित राशि सहस्र रूपयों में
1	1456	श्रीगंगानगर	614.109
2	1457	सादुलशहर (श्रीगंगानगर)	470.338
3	1458	पदमपुर (श्रीगंगानगर)	333.302
4	1459	करणपुर (श्रीगंगानगर)	221.820
5	1460	अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)	315.982
6	1461	रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)	528.887
7	1462	सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	688.736
8	26060	घड़साना (श्रीगंगानगर)	813.675
		योग	3986.849

(अंके रूपये उनचालीस लाख छियासी हजार आठ सौ उनचास मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/ 23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।


लेखाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

19-06-2014

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, शिक्षा का अधिकार अनुभाग को उनकी नोटशीट के क्रम में।
3. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
4. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी